उच्च शिक्षा में महिलाएँ – एक विश्लेषण

*रश्मि श्रीवास्तव**

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। अनेक सरकारी व गैर-सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। विद्यालयी स्तर पर उनका नामांकन बढ़ा है, स्कूल बीच में छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में निरंतर कमी आयी है तथा स्कूली प्रक्रिया में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ी है। साथ ही ऐसी बालिकाओं (महिलाओं) का प्रतिशत भी बढ़ा है जो विद्यालयी शिक्षा पूरी कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश ले लेती हैं। परंतु महिलाओं की भागीदारी विज्ञान, तकनीकी तथा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

सन 2001 की जनगणना के अनुसार (इंडिया 2001) भारत में महिलाओं की जनसंख्या 40.71 करोड़ है जो देश की कुल आबादी का 48.10% है। अत: निश्चित ही उनका विकास व उन्नति विकासशील योजनाओं का प्रमुख मुद्दा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही महिलाओं की उन्नति, विकास योजनाओं का केंद्र बिंदु रही है। पिछले 60 वर्षों के दौरान इस संबंध में नीति निर्माण में कई परिवर्तन आए हैं जिसमें 70 के दशक तक कल्याण संकल्पना से 80 के दशक तक विकास की नीति और 90 के दशक में अधिकार पर जोर दिया है।

यहां पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि महिला विकास एवं कल्याण संबंधी योजनाओं में स्त्री शिक्षा सर्वोपरि है। महिलाओं के स्तर को ऊँचा उठाने तथा परंपरागत रूढ़िवादी विचारों से मुक्त करने में उच्च शिक्षा को एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया है। सरला गोपालन (1996) ने अपने शोध पत्र में महिलाओं के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने में उच्च शिक्षा की भूमिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है।

आधुनिक व समृद्ध भारत के निर्माण हेतु समाज उद्योग व व्यापार क्षेत्र की बदली हुई आवश्यकताओं को देखते हुए उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी मानी जा रही है, यही कारण है कि भारत सरकार उच्च शिक्षा के जरिए महिलाओं की दशा में परिवर्तन लाने

*68 विजय नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ (उ.प्र.)

के लिए कटिबद्ध है जिससे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर महिलाओं की दिशा में विविधता लाई गई है। महाविद्यालयों में छात्राओं के प्रवेश को सुगम बनाने की दिशा में महिला महाविद्यालयों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में महिला महाविद्यालयों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

तालिका 1
भारत में महिला महाविद्यालयों की संख्या

वर्ष	*महिला महाविद्यालयों की संख्या*
1985–86	741
1986–87	780
1987–88	786
1989–90	824
1990–91	851
1991–92	874
1992–93	950
1993–94	1103
1994–95	1107
1995–96	1146*

*प्रोविजनल
स्रोत: एनुअल रिपोर्ट यू.जी.सी. 1996 पृ. 139

उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकारी व गैर-सरकारी प्रयासों के फलस्वरुप बालिकाओं की शिक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली छात्राओं का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

तालिका 2 से ज्ञात होता है कि 1950-51 में जहाँ मात्र 40,000 महिलाएँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नामांकित थीं वहीं 1995-96 में यह संख्या बढ़ कर 21,91,000 पर पहुँच गई है। उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने समाज तथा राष्ट्र में उनकी भूमिका को दृढ़ किया है।

तालिका 2

प्रति 100 पुरुष छात्रों पर महिला छात्राएँ (1996)

वर्ष	*महिलाओं का कुल नामांकन (हजार में)*	*नामांकन (प्रति 100 पुरुष छात्रों पर)*
1950–51	40	14
1995–96	2191	52

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न संकायों में महिलाओं के नामांकन (तालिका 3) पर एक दृष्टि डालने पर पता चलता है कि कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, अभियान्त्रिकी तथा अन्य सभी संकायों में महिलाओं ने अपनी भागीदारी प्रदर्शित की है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विषय तथा पाठ्यक्रम चयन में स्त्री व पुरुष को समान दर्जा देते हुए कोठारी कमीशन ने सिफारिश की थी कि

''महिला विद्यार्थियों को कला, मानविकी, विज्ञान के पाठ्यक्रमों में मुक्त भाव से प्रवेश मिलना चाहिए, उनके विषय चुनाव

तालिका 3
विभिन्न संकायों में महिलाओं का नामांकन
(1995-96)

क्रमांक	*संकाय*	*नामांकन*	*प्रतिशत*
1.	कला	11,91,774	54.39
2.	वाणिज्य	3,09,834	14.14
3.	विज्ञान	4,40,354	20.10
4.	शिक्षा	85,699	3.97
5.	विधि	39,551	1.80
6.	अभियांत्रिकी/ तकनीकी	26,368	1.20
7.	अन्य (चिकित्सा, कृशि, पशु विज्ञान,संगीत ललित कला, समाज कार्य, शारीरिक शिक्षा आदि।	97,562	4.40
	योग	**21,91,138**	

स्रोत : एनुअल रिपोर्ट यू.जी.सी. 1995 पृ. 110
एनुअल रिपोर्ट यू.जी.सी. 1995 पृ.110

को संकीर्ण बनाना अथवा उन्हें विशिष्ट पाठ्यक्रमों को लेने के लिए विवश करना गलत होगा।''

अर्थात आयोग महिलाओं के विषय चयन को संकीर्ण बनाना उचित नहीं मानता परंतु उच्च शिक्षा के विभिन्न संकायों में महिलाओं के नामांकन की स्थिति पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि भारत में महिलाओं द्वारा विषय चयन प्रक्रिया में संकीर्ण प्रवृत्ति का संचार हुआ है। तालिका 3 द्वारा पता चलता है कि वर्ष 1995-96 में उच्च शिक्षा में नामांकित छात्राओं में 54.39% छात्राएँ कला वर्ग, 20.10% छात्राएँ विज्ञान वर्ग तथा 14.14% छात्राएँ वाणिज्य वर्ग में नामांकित थीं। इसी प्रकार शिक्षा, विधि, अभियांत्रिकी/तकनीकी में क्रमश: 3.97%, 1.81% तथा 1.20% छात्राएँ नामांकित थीं। 4.40% छात्राएँ शिक्षा के अन्य संकायों में नामांकित थीं, जबकि विज्ञान तथा तकनीकी विषय वर्ग महिलाओं द्वारा उपेक्षित रहा। आज जब ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीक तथा अभिवृत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है, भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन विषयों का महिला विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र न बन पाना चिन्ता का विषय है। उच्च शिक्षा में नामांकित कुल 21,98,138 छात्राओं में से अधिकांश छात्राएँ (11,91,774) जहाँ कलावर्ग की हैं वहीं विज्ञान वर्ग में इनकी संख्या मात्र 4,40,354 है। अभियान्त्रिकी एवं तकनीकी क्षेत्र में मात्र 26,368 छात्राओं ने अपनी भागीदारी प्रदर्शित की है।

एक राष्ट्र का आर्थिक विकास औद्योगिकीकरण द्वारा होता है। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के बिना औद्योगिकीकरण सम्भव नहीं है और बिना औद्योगिकीकरण के राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। चूँकि भारत औद्योगिकीकरण द्वारा आर्थिक विकास कर रहा है अत: यहाँ विज्ञान व तकनीकी शिक्षा का विशेष महत्व हो जाता है। इस दशा में शिक्षित समुदाय के एक बड़े वर्ग का विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति आकृष्ट न हो पाना चिंता का विषय है। वज़ारत कौसर (1997) ने

इस दिशा में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा भी है कि–

> *''राष्ट्र के तकनीकी कार्यक्रमों की सफलता तथा उनके लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण निवेशों में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त श्रम शक्ति प्रमुख है, साथ ही विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक विकास को सम्भव बनाने में इसका अप्रत्यक्ष योगदान भी है।''*

सिंह तथा शर्मा (1995) ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आर्थिक विकास नीतियों के विश्लेषण में प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता पर जोर देते हुए विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने उत्पादन क्षमता तथा शिक्षा के सही समन्वय को विकास का मूलाधार माना जो कि विज्ञान व तकनीकी शिक्षा द्वारा सही तरीके से स्थापित की जा सकती है। अत: भारत देश की श्रम शक्ति के इस बड़े समूह को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति आकृष्ट न कर पाना शैक्षिक उद्देश्यों की असफलता भी है।

महिलाओं के स्वयं के जीवन स्तर में सुधार तथा परंपरागत रूढ़िवादी विचारों से उन्हें मुक्त कराने में भी विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की अपनी महत्ता है। विभिन्न शोध परिणाम भी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं। अंगिरा (1992) द्वारा स्नातक स्तर के कला एवं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों पर किए गए एक अध्ययन में कला वर्ग की तुलना में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की आधुनिक अभिवृत्ति उच्च स्तरीय पायी गई। इसी प्रकार इस्लाम एवं सुधाकर (1997) द्वारा महाविद्यालयी छात्र-छात्राओं पर किए गए एक अध्ययन में भी कला वर्ग की तुलना में विज्ञान वर्ग की छात्र-छात्राएँ रूढ़िवादी विचारों से मुक्त एवं अधिक आधुनिक अभिविन्यरत पाई गईं।

अत: भारत में महिला वर्ग की उन्नति, आधुनिक विचारधारा से उन्हें जोड़ने तथा राष्ट्रीय विकास, इन तीनों ही संदर्भों में महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति आकृष्ट किए जाने हेतु व्यापक प्रयास किए जाने चाहिएं। इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास विद्यालयी स्तर पर ही प्रारंभ कर अधिक सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की उन्नत व्यवस्था बालिका विद्यार्थियों में इन विषयों के चयन के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार इन विषयों में प्रवेश सुलभ होने की दशाएँ तथा शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश भी इन संदर्भों में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी विषयों की उपयोगिता एवं रोज़गार व व्यवसाय संदर्भों में इनकी महत्ता से छात्राओं को परिचित करा कर भी इन विषयों के प्रति आकृष्ट किया जा सकता है।

संदर्भ

1. अंगीरा के.के. 1992. *ऐजुकेशन सेक्स एण्ड मोडर्नाइजेशन : ए स्टडी इन ऐटीट्यूड्स मोर्डर्निटी, इंडियन साइकोलोजिकल रिव्यू,* 38, 8-9, पृ. 33
2. एनुअल रिपोर्ट 1995. यू.जी.सी. नई दिल्ली, पृ. 110
3. एनुअल रिपोर्ट 1996. यू.जी.सी. नई दिल्ली, पृ. 138
4. गोपालन, सरला 1996. द इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन यूनिवर्सिटी न्यूज़, *जर्नल ऑफ हायर ऐजुकेशन,* नई दिल्ली, xxxiv, 13, मार्च 25, पृ. 17
5. इंडिया 2001 (ए रिफरेन्स मेनुअल) *मिनिस्टरी ऑफ इन्फॉर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग,* गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, पृ. 230
6. इस्लाम, सिराजुल और सुधाकर, एम.ए. 1997. स्टडी ऑफ सोशल एटीट्यूड एण्ड वेल्यूज़ ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इन सोशियो पर्सपेक्टिव *जर्नल ऑफ इनसाइट इन ऐजूकेशन फॉर सोशल चेंज,* कश्मीर यूनिवर्सिटी, ऐजुकेशन डिपार्टमेंट, 4.1 पृ. 61-66
7. कौसर *वज़ारत* 1997. *स्टेटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ इंडियन वोमेन इन द टेक्नीकल फील्ड, यूनिवर्सिटी न्यूज़* 35, (23) जून, पृ. 13
8. शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66. शिक्षा मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, पृ. 356
9. सिंह, डॉ. एन.पी. और शर्मा मीना 1995. द *वोकेशनल डोमेन ऑफ ऐजुकेशन : नेहरुज़ परसेप्शन, इंडियन साइकोलोजिकल रिव्यू,* 44, 1-2, पृ. 33
10. विश्व ज्ञान संहिता 1976. सब्जेक्टवाइज़ हिंदी इंसाइक्लोपीडिया, (सोशल साइंस), हिंदी विकास समिति, मद्रास, पृ. 1976